

Rashtriya Sahara/ Lucknow/ December 21, 2012

## पर्यावरण के विपरीत होने वाले निर्माण कार्यों पर प्रभावी अंकुश जरूरी

लखनऊ (एसएनबी)। शहरों में भवन निर्माण में संसाधन गटकने की प्रकृति पर अंकुश लगाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिए। शहरों में अकामक भवन निर्माण के फलस्वरूप पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को नियन्त्रित करने के लिए मजबूत तकनीकी और प्रशसनिक तैयारियों की आवश्यकता है।

हर्षित भवनों के लिए कार्यसूची पर अधिविन्यास कार्यशाला का आयोजन बृहस्पतिवार को सेंटर फार साइंस एंड इन्वेयरमेंट नयी दिल्ली व लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यशाला में शहरों के भवन निर्माण में संसाधन गटकने पर अंकुश लगाने तथा भवन निर्माण क्षेत्र की हारियाली बढ़ाने के लिए उन्नत सुधार पर कार्यवाही की जरूरतों को लेकर विचार-विमर्श हुआ।

कार्यशाला में आरके गोविल, एडीजी सीपीडब्ल्यूडी एनआरआई, एसपी श्रीवास्तव चौफ इंजीनियर यूपी पावर कारपोरेशन, प्रोफेसर रितु गुलाटी, आर्किटेक्ट अनुपम मितल व वेकेटेश दत्ता ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि भवन निर्माण क्षेत्र में तेजी की संभावना है दोनों आवासीय और वाणिज्यिक भवनों कई गुना वृद्धि होगी। इससे शहरों में स्थान, पानी,

ऊर्जा, संसाधन के साथ ही कचरे का भारी दबाव पड़ेगा। जब तक स्थान, वास्तुशिल्पीय, डिजाइन का चयन, निर्माण समग्री का समुचित विकल्प, परिचालनात्मक प्रबन्धन न किये गये तो तमाम दिक्कतें पैदा होंगी। कार्यशाला में जोर दिया गया कि हरित भवन की सार्वजनिक स्वीकृति के सुधार करें और सार्वजनिक समर्थन का निर्माण करें, घरों के लिए ऊर्जा और पानी की बचत के बारे में लोगों को बताया जाए। हरित भवनों के लिए समर्थन जुटाएं। आमजन को इसद बाबत जागरूक किया जाए कि किस प्रकार जल संरक्षण और ऊर्जा की समग्र बचत से संबंधित निर्णय से सामुदायिक लाभ पा सकते हैं तभी आर्थिक विकास से समझौता किए बागेर कुशल शहरी विकास संभव है। इस अवसर पर एलडीए के अधियंता और टाउन प्लानर सहित कई अन्य लोगों ने भी अपनी-अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखा और विचार-विमर्श किया।

### कार्यशाला

